पृष्ठभूमि:

सेवानिवृत्ति के उपरांत मिलने वाले फायदों को सुदृढ करने एवं अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थानों के समान टर्मिनल बेनीफिट दिए जाने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, सीएमपीएस-98 पेंशन योजना को एक तीसरे हितलाभ के रूप में आरंभ किया गया है, जो कि इसके पूर्व चल रही फैमिली पेंशन योजना 71 को उन्नत बनाते हुए इसका उत्तम उपयोग किया जाना है, ताकि सेवानिवृत्ति के उपरांत इसके सदस्य के साथ-साथ उसका परिवार भी सुविधाजनक जीवन व्यतीत कर सके।

प्रस्तावना:

अधिसूचना सं. एस.ओ.233 (ई) दिनांकः20.03.98 के द्धारा, सरकार ने दिनाँक 31.03.1998 से कोल माईंस पेंशन स्कीम को लागू करने की तारीख नियत किया है (जीएसआर संख्या 123(ई) दिनांक 05.03.1998 के द्धारा सरकारी गजट में प्रकाशित)। समस्त कर्मचारी जो कंपनी की सेबाओं से 01.04.1994 को या उसके पश्चात अलग किये गये हैं तथा पेंशनेबल सर्विस के 10 वर्ष पूर्ण कियें हैं, सीएमपीएस - 98 योजना के अंतर्गत शामिल होंगे।

(II) कोयला खान पेंशन योजना-1998 के बारे में विस्तृत जानकारी :

1. नियत तारीख: दिनाँक 31.03.1998 से कोयला खान पेंशन योजना लागू हुई है।

2. सेवानिवृत्ति: सेवानिवृत्ति का अर्थ है अधिवर्षिता (Superannuation) पर सेवानिवृत्ति अथवा सेवानिवृत्ति के पूर्व पेंशनेबल सर्विस के 10 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् कर्मचारी की नौकरी समाप्ति या अपंगता का आधार।

3. पात्रता:

क) कर्मचारी, जो 31.03.1998 से पूर्व कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 में योगदान कर रहा हो तथा 1.04.1994 को या उसके पश्चात् कम्पनी की नौकरी में हो/था।

ख) कर्मचारी, जो कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 का सदस्य नही था परन्तु भविष्य निधि योजना में शामिल है /था तथा उसने फार्म पीएस-1 में ऑप्शन प्रस्तुत किया है।

ग) कर्मचारी, जो कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 का सदस्य था और 01.04.1994 को या बाद मे कंपनी की नौकरी से अलग किया गया है एवं उसने फॉर्म पीएस-2 में ऑप्शन प्रस्तुत किया हो।

cont.........

4. अंशदान :

क) 01.04.1989 से 31.03.1996 तक परिलब्धियों (बेसिक + डीए) का 2% तथा 01.04.1996 से नोशनल वेतन (बेसिक + डीए) का 2% ।

ख) 01.07.1995 से एक वेतनवृद्धि के बराबर की राशि (01.07.1995 को कर्मचारी के वेतन के आधार पर परिकलन किया जाए।)

ग) कर्मचारी के वेतन की एक एवं दो-तिहाई % के बराबर की राशि (बशर्ते अधिकतम वेतन रू.1600 प्रति माह है।) को सरकार द्धारा अंशदान किया जाना है।

घ) फॅमिली पेंशन अंशदान वेतन का १.१६% X २ (कर्मचारी और प्रबंधन हिस्सा सहित)

5. पेंशन योग्य सर्विसः

क) 1.3.1971 से 31.3.1989 तक कर्मचारी द्धारा की गई वास्तविक सर्विस की अवधि का 2/3

ख) 1.4.1989 से कर्मचारी व्दारा की गई वास्तविक सर्विस।

6. परिकलनः

क) पेंशन योग्य सर्विस के 30 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् पिछले 10 माह के वेतन (बेसिक + डीए) के औसत का 25% ।

ख) जब पेंशन योग्य सर्विस 30 वर्ष से कम है (सेवानिवृत्ति के उपरांत अथवा सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाने की स्थिति में) :-

$$\frac{\text{पेंशनेबल सर्विस की अवधि} \times \text{पिछले 10 माह के औसतन वेतन (बेसिक + डीए) का 25\%}}{30}$$

ग) जहाँ कर्मचारी ने पेंशन योग्य सर्विस के 10 वर्ष पूर्ण किये हैं किन्तु सेवानिवृत्ति के पूर्व त्याग पत्र/ सेवा समाप्त/स्वेच्छानिवृत्ति के कारण नौकरी से अलग होता है, ऐसे कर्मचारी को पेंशन के रूप में भुगतान योग्य राशि, संलग्न की जा रही अनुसूची - 2 के अनुसार निर्धारित होगी।

घ) जहां कर्मचारी सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/सेवा समाप्ति/अपंगता के कारण 10 वर्ष की पेन्शनेबल सर्विस पूर्ण नही कर सका है उसे अंशदान की राशि की वापसी का भुगतान संलग्न की जा रही अनुसूची -3 के आधार पर किया जाएगा।

च) जब एक कर्मचारी 10 वर्ष की पेंशनेबल सर्विस पूर्ण करने के पश्चात् स्थायी रूप से कंपनी के मेडिकल बोर्ड व्दारा अपंग घोषित किया जाता है, वह अपनी पिछली 10 माह की परिलब्धियों (बेसिक + डीए) के औसत के 25% की दर से पेंशन प्राप्त करने हेतु हकदार होगा।

cont...........

छ) नौकरी के अवधि के दौरान कम्रचारी की मृत्यु होने के पश्चात् विधवा/विधुर मूल पेन्शन के 66.67% की दर से पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा जो कि न्यूनतम 320/- रू. प्रति माह होगी तथा इस परीस्थिती में पेंशनेबल सर्व्हीस के १० साल पूर्ण होना आवश्यक नही है । सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/बर्खास्तगी के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने के पश्चात विधवा/विधुर मूल पेन्शन के 60 % की दर से पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे जो कि न्यूनतम 250/- प्रति माह होगी । विधवा/विधुर पेंशन के अतिरिक्त, दो ज्येष्ठ अथवा अविवाहित पुत्रियाँ, 25 वर्ष की उम्र तक विधवा/विधुर पेंशन के 25% राशि पाने की हकदार होंगी, जो कि न्यूनतम 100/-रू. प्रति माह प्रति बच्चा होगी। अनाथों के मामले में (पुत्र अथवा अविवाहित पुत्रियां), जव तक वह 25 वर्ष की उम्र प्राप्त नही कर लेते, विधवा / विधुर पेंशन के 50% की दर से पेंशन प्राप्त करते रहेंगे, जो कि न्यूनतम 110/-रू. प्रति माह प्रति बच्चा होगी।

7. दिनाँक 31.03.2010 को पेंशन दावों की स्थिति :

आजतक ३७५६८ पेंशन दावों का निपटारा कोयला खान भविष्य निधि कार्यालय व्दारा किया जा चुका है।

8. पेंशनरों को बैंक के मार्फत पेंशन का वितरण :

माह अक्टूबर, 2006 से, पेंशन का वितरण करने के लिये निम्नलिखित बैंक के साथ सीएमपीएफ पदाधिकारियों का अनुबंध हुआ है:-

1	इलाहबाद बैंक	2	आध्र बैंक
3	बैंक ऑफ बडौदा	4	बैंक ऑफ इंण्डिया
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	6	कैनरा बैंक
7	सेंट्रल बैंक	8	पंजाब नैशलन बैंक
9	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	10	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
11	इंडियन ओवरसिज बैंक	12	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
13	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	14	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक

आयुक्त , सीएमपीएफ, धनबाद ने समस्त पेंशनरों से निवेदन किया हे कि वे अपना एकल बचत खाता उपर्युक्त बैंको में से किसी एक में ही खोंले जिससे उन्हें निर्विध्न रुप से पेंशन प्राप्त हो सके।

सीएमपीएफ कार्यालय ने हाल ही में यह अधिसूचित किया है कि सीएमपीएस-98 के अंतर्गत आने वाले समस्त सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए भारत के उक्त 14 राष्ट्रीयकृत बैंको के मार्फत् ही पेंशन का वितरण किया जायेगा ।

cont..........

09. वार्षिक जीवित-प्रमाण पत्र का प्रस्तुतीकरणः

बैंकों से किये गये अनुबंध के अनुसार, पेंशनर जिस बैंक की शाखा से पेंशन प्राप्त करता है, उसे उस बैंक की शाखा में प्रत्येक वर्ष में एक बार माह नवंबर में बार्षिक जीवित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । यह निश्चित किया गया है कि सीएमपीएस 98 पेंशनर्स, भरे हुए बार्षिक जीवित प्रमाणपत्र की 3 समरूप प्रतियों को निम्नानुसार प्रस्तुत करेंगें :-

I) जीवित प्रमाण पत्र की प्रथम प्रति को राष्ट्रीयकृत बैंक की पेंशन भुगतान शाखा को ।
ii) जीवित प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति को एग्रीड राष्ट्रीयकृत बैंक की संबंधित नोडल शाखा को (संबंधित बँकों के पते निम्नलिखित सुची में स्पष्ट है) ।
iii) जीवित प्रमाण पत्र की तृतीय प्रति को सीएमपीएफओ के आधिकारिक क्षेत्रीय कार्यालय को ।

संबंधित नोडल बँकों के पते की सूची

इलाहबाद बँक, चावडा मेन्शन, कट्रा रोड, बॅक मोर, धनबाद- 826001. फोन नं. 0326-2303168/2303458/2308985	**आॅन्ध्रा बँक,** कोथापेठ दिलसुख नगर, हैद्राबाद-500060 फोन नं. 040-23468534/35	**बॅक आॅफ बरोडा,** राजहंस मॅन्शन,झरिया रोड, बॅक मोर, धनबाद-826001 **फोन नं.** 0326-2302618/2303188
बँक आॅफ इण्डिया, एस.आर. मॅन्शन, दुसरा माला, शास्त्री नगर, धनबाद-828127 फोन नं. 0326-2303116	**बँक आॅफ महाराष्ट्र,** राधास्वामी आर्केड, सरई ढेल्ला, धनबाद- 828127 फोन नं. 0326-2224118	**कैनेरा बँक,** न्यु मार्केट, बँक मोर, धनबाद-0326-826001 फोन नं. 0326-2305944/2305357
सेंन्ट्रल बँक आॅफ इण्डिया, पीओ-धनसर, धनबाद-0326-826001 फोन नं. 0326-2307539	**पंजाब नॅशनल बँक,** बँक मोर, धनबाद-826001 फोन नं. 0326-2302368	**भारतीय स्टेट बॅक,** बँक मोर, धनबाद-826001 फोन नं. 0326-2300743
स्टेट बँक आॅफ हैद्राबाद, गनफाउन्ड्री, एबीडस्, हैद्राबाद-500001 फोन नं. 040-23387323	**युनाईटेड कमर्शियल बँक,** राठोर मॅन्शन, बैंक मोर, धनबाद-826001 फोन नं. 0326-2303149	**युनाइटेड बँक आॅफ इण्डिया,** बँक मोर, धनबाद-826001 फोन नं. 0326-2303404
युनियन बँक आॅफ इण्डिया, राजहंस मॅन्शन, बँक मोर, धनबाद-826001 फोन नं. 0326-2302393	**इंण्डियन ओवरसीस बँक,** सेंन्ट्रल आॅफिस, पीबी नं. 3765763 अन्नासलाई चेन्नई-600002 फोन नं. 044-28519532	

cont........

क्षेत्रीय कोयला खान भविष्य निधी कार्यालयो के पते निम्नानुसारः

1) क्षेत्रीय आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधी कार्यालय, कस्तुरबा नगर, जरीपटका, नागपुर-440014. दुरध्वनी क्रं. 0712-2642430

2) क्षेत्रीय आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधी कार्यालय, टी.बी. अस्पताल के समीप, छिन्दवाडा (मध्य प्रदेश)। दुरध्वनी क्रं.07162-242716 (केवल पेंछ एवं कन्हान क्षेत्र के लिये)

(IV) पेंशन योजना से संबंधित प्रश्नोत्तर :

क) 'सहज' प्रपत्र के संबंध में :

प्रश्न 1: पेंशन के प्रकार क्या है।

उत्तर : पेंशन के निम्नलिखित प्रकार हैं :-

i) सेवानिवृत्त/वीआरएस/त्यागपत्र/बर्खास्तगी/छँटनी के कारण सेवानिवृत्ति पेंशन।

ii) अपंगता पेंशन ।

iii) विधवा /विधुर पेंशन।

iv) बच्चों की पेंशन (बडे पुत्रो में अथवा अविवाहित पुत्रियों मे दो को, जैसे भी मामला हो और जब तक वे 25 वर्ष की उम्र प्राप्त नही कर लेते अथवा अविवाहित पुत्रियों की जब तक उनका विवाह नही हो जाता, जो भी पहले है।

v) अनाथ पेंशन (बडे पुत्रों में अथवा अविवाहित पुत्रियों में दो को, जैसा भी मामला हो और जब तक वे 25 वर्ष की उम्र प्राप्त नही कर लेते अथवा अविाहित पुत्रियों को जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता, जो भी पहले हो।)

प्रश्न 2: सीएमपीएस,1998 के पॅरा 15 के अंतर्गत कौनसा पेंशनर ऑप्शन देने के लिये पात्र है।

उत्तरः 60 वर्ष की उम्र होने के पश्चात सेवानितृत्त होने पर व्यक्ति ऑप्शन देने के लिये पात्र है तथा यह कर्मचारी के लिये आवश्यक है।

प्रश्न 3: पॅरा 15 के अंतर्गत ऑप्शन कॉलम में क्या ऑप्शन हैं तथ प्रत्येक ऑप्शन के अंतर्गत कौन से हितलाभ है।

उत्तर : एक सेवानिवृत्त होनेवाला कर्मचारी ने 'सहज' के प्रस्तुत करते समय पेंशन योजना की धारा 15 के अंतर्गत ऑप्शन अवश्य देना चाहिए।

ऑप्शन्स निम्नानुसार हैं:-

(क) : सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन की प्राप्त होने बाली कुल राशि का पूर्ण या 100% एवं विधवा विधुर को विधवा/विधुर पेन्शन के अलावा कोई अतिरिक्त हितलाभ नहीं मिलेगा ।

(ख) : कर्मचारी को उसके/ उसकी जीवन-पर्यन्त तक पेंशन की प्राप्त होने वाली कुल राशि का 90% पेन्शन तथा उसके/ उसकी मृत्यु के पश्चात विधवा/विधुर को विद्यवा / विधुर पेंशन के अतिरिक्त पूर्ण माहवार पेंशन का 100 गुणा एकमुश्त भुगतान प्राप्त करने हेतु हकदार होंगे।

cont.......

(ग) : कर्मचारी को उसके/उसकी जीवन पर्यन्त तक पेंशन की कुल प्राप्त होने वाली राशि का 90% पेन्शन तथा उसके/उसकी मृत्यु के पश्चात उसके/उसकी पत्नी//पति के पक्ष में विद्यवा /विद्युर के रूप में पूर्ण माहवार पेंशन का 80% तथा नामांकित व्यक्ति को पूर्ण माहवार पेंशन के 90 गुणा के एकमुश्त राशि प्राप्त करने हेतु हकदार होगे।

प्रश्न 4ः 10 माह औसत वेतन क्या है?

उत्तरः औसत वेतन का अर्थ है सेवानिवृत्ति के माह तक पिछला 10 माह औसत नोशनल वेतन (मुल + डीए)

प्रश्न 5ः यदि पेंशन फण्ड के एवज में अंशदान की वसूली में विलंब है तो ब्याज की किस दर पर राशि को जमा किया जाना है ?

उत्तर :**क)** 2% पेंशन योगदान एवं अतिरिक्त वेतनवृद्धि के लिये ब्याज की 12% दर से।

ख) समय समय पर सीएमपीएफ के लिए लागू ब्याज की दर - एफ.पी.योगदान के लिए ।

प्रश्न 6ः क्या योगदान का विस्तृत ब्यौरापेंशन दावे की प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक है ?

उत्तर: हाँ, पेंशन दावे की प्रोसेसिंग के लिये सीएमपीएस –98 के अनुसार योगदान का विस्तृत ब्यौरा आवश्यक है।

प्रश्न 7: अनुग्रह राशि (exgratia) भुगतान क्या है ।

उत्तरः सर्विस की अवधि में मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि 5000/- रू.का एकमुश्त भुगतान है, जो जीवित विधवा/विधुर को दिया जाएगा तथा यदि विधवा/विधुर नहीं है तो उनके नामिनी बच्चों को समान रूप से दिया जाएगा ।

प्रश्न 8: यदि आप सीएमपीएफ तथा फॅमिली पेंशन के सदस्य हैं तो पेंशन योजना हेतु पात्र होने के लिए कितनी राशि का अंशदान किया जाना है ?

उत्तर : **i)** 1.4.89 से 2% पेंशन योगदान अथवा नियुक्ति की तारीख, जो भी बाद में हो,

ii)1.7.95 से अथवा नियुक्ति की तारीख, जो भी बाद में हो, के अतिरिक्त वेतन वृद्धि,

iii) 1.3.71 से अथवा नियुक्ति की तारीख, जो भी बाद में हो, से 1.16% की दर से फेमिली पेंशन ।

प्रश्न 9: सीएमपीएफ एवं नॉन एफ.पी. का सदस्य जो दिनाँक 31-3-1998 से पहले सेवानिवृत्त हो गया है अथवा 31.3.1998 को सर्विस में रहते हुए अथवा 31.3.1998 के पहले मृत्यु होने के उपरांत पेशन पाने का हकदार है ?

उत्तर: यदि एक नॉन एफ.पी. सदस्य 31-3-1998 के पूर्व सेवानिवृत्त होता है अथवा 31-3-1998 के पूर्व नौकरी में अथवा नौकरी के पश्चात् उसकी मृत्यु होती है तो उसका परिवार पेंशन पाने का हकदार है, बशर्ते वह या उसके परिवार ने 7.3.2003 तक पीएस–1 ऑप्शन फॉर्म में पेंशन योजना में शामिल होने के लिए ऑप्शन दिया हो तथा वह 11.5.2005 तक मृतक सदस्य के मामले में ही है एवं इस विस्तार से निम्नानुसार पेंशन फंड योगदान दिया हो :-

i) 1.4.89 से या नियुक्ति की तारीख, जो भी बाद में हो, से 2% पेंशन, 12% की दर से ब्याज सहित ।

cont..........

ii) 1.7.95 से या नियुक्ति की तारीख, जो भी बाद में हो, से अतिरिक्त वेतनवृद्धि, 12% की दर से ब्याज सहित ।

iii) 1.3.71 से 1.16% या नियुक्ति की तारीख, जो भी बाद में हो से फेमिली पेंशन/ साथ ही, समय-समय पर सीएमपीएफ को लागू ब्याज की दर के साथ ।

iv) 1.3.71 से अथवा नियुक्ति की तारीख, जो भी बाद में हो, से सरकारी अंशदान । इसके साथ ही, समय-समय पर सीएमपीएफ को लागू ब्याज की दर सहित ।

प्रश्न 10: क्या पेंशन पाने के लिए सीसीएलएसपीएफ/सीएमएएलएसपीएफ सदस्यगण हकदार हैं? यदि हकदार हैं तो पेंशन पाने के लिए क्या करना चाहिए ?

उत्तरः हाँ, संशोधन के अनुसार अधिसूचना सं.जीएसआर.107 (ई) दिनाँक 13.2.2003 के अनुसार उपर्युक्त वर्णित सदस्यगण पेंशन पाने के हकदार हैं । इसके लिए उन्हें सहज फॉर्म भरना है तथा निम्नानुसार अंशदान देना है :-

- 1.4.89 से या नियुक्ति की तारीख, जो भी बाद में हो, से 2% पेंशन, 12% की दर से ब्याज सहित ।
- 1.7.95 से या नियुक्ति की तारीख, जो भी बाद में हो, से अतिरिक्त वेतनवृद्धि, 12% की दर से ब्याज सहित ।
- 1.3.71 से 1.16% या नियुक्ति की तारीख, जो भी बाद में हो से फेमिली पेंशन/ साथ ही, समय-समय पर सीएमपीएफ को लागू ब्याज की दर के साथ ।
- 1.3.71 से अथवा नियुक्ति की तारीख, जो भी बाद में हो, से सरकारी अंशदान/इसके साथ ही, समय-समय पर सीएमपीएफ को लागू ब्याज की दर सहित

प्रश्न 11: क्या यह योजना ठेकेदार-कामगारों के लिए लागू है ?

उत्तर: हाँ ।

प्रश्न 12: ठेकेदारों का दायित्व क्या है ?

उत्तर: समस्त ठेकेदार उनके द्वारा तैनात श्रमिकों/कामगारों के बारे में, सीएमपीएफ (विविध) प्रावधान अधिनियम, 1948 तथा इसके अधीन बनाई गई समस्त संबंधित योजनाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :-

सीएमपीएफ के अंतर्गत :-

(1) कर्मचारी के योगदान के रूप में कुल मजदूरी का 12% (सीएमपीएफ हेतु 10.84% + फैमिली पेंशन के रूप में1.16%) + मालिक के योगदान के रूप में समान राशि ।

(2) दोनों योगदान पर, अर्थात् कर्मचारी एवं मालिक के योगदान पर प्रशासनिक प्रभार के रूप में 3%.

cont.......

सीएमपीएएस 1998 के अंतर्गत :-

(1) पेंशन फंड के बदले में कर्मचारी के कुल मजदूरी का 2%

(2) कामगार द्धारा ली गई कुल मजदूरी का 1.5% अतिरिक्त वेतनवृद्धि के रूप में वसूला जाए तथा उसे पेंशन फंड में जमा किया जाए ।

प्रश्न 13: ठेकेदार के कामगारों हेतु कम्पनी की क्या भूमिका है ?

उत्तर: कर्मियों से वसूली गई राशि तथा ठेकेदारों के अंशदान की राशि को सीएमपीएफ संस्थान को जमा किया जाना है ।

प्रश्न 14: क्या ठेकेदारों द्धारा सांविधि फॉर्म्स/रिटर्न्स प्रस्तुत किया जाना है ?

उत्तर: ठेकेदारों द्धारा प्रधान नियोक्ता अर्ुात् वेकोलि के सक्षम प्राधिकारी (प्रधान नियोक्ता से फॉर्म्स प्राप्त किए जाने हैं) के मार्फत निम्नलिखित सांविधिक रिटनर्स्/फॉर्म्स सीएमपीएफओ को प्रस्तुत किया जाना वांछित है :-

(i) फॉर्म एचएच 'ए'
(ii) फॉर्म एचएच 'बी'
(iii) फॉर्म एचएच 'सी'
(iv) फॉर्म एचएच 'डी'
(v) फॉर्म एचएच 'ई'
(vi) फॉर्म 'ए'
(vii) वीवी विवरण
(viii) फॉर्म वायवाय
(ix) पीएस-3
(ix) पीएस-4
(x) पीएस-5 इत्यादि.